संख्या 1684 /18-4-2008-35(बजट)/2007

प्रेषक,

वी0 राजगोपालन,
प्रमुख सचिव,
लधु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

1-निर्यात आयुक्त,
निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो,
उ0प्र0 लखनऊ ।
2-आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग,
उद्योग निदेशालय, उ0प्र0,
कानपुर ।

लधु उद्योग अनुभाग-4 लखनऊः दिनॉक: 2 जून, 2008

विषयः-वायुयान भाड़ा युक्तीकरण योजना की मार्गदर्शिका ।

महोदय,

भौगोलिक दृष्टिकोण से उ0 प्र0 एक भू-आच्छादित राज्य है । जहॉ से निकटतम बन्दरगाह लगभग 1500 कि0मी0 की दूरी पर स्थित है । निर्यातकों द्वारा निर्यात हेतु अपने उत्पाद पहले सड़क या रेल मार्ग से बन्दरगाह तक भेजे जाते हैं । तदुपरान्त बन्दरगाह से समुद्र मार्ग से विदेशी केताओं को भेजा जाता है, जिसके फलस्वरूप यातायात व्यय बहुत अधिक हो जाता है । यातायात व्यय अधिक होने से भेजे गये माल की लागत बढ़ जाती है और उ0 प्र0 के निर्यातकों को समुद्र के निकट स्थित राज्यों की तुलना में प्रतिस्पर्धा करना कठिन हो जाता है । उ0प्र0 एक कृषि प्रधान राज्य है अतः कृषि संबंधी उत्पादों के निर्यात की यहॉ पर पर्याप्त सम्भावनायें हैं । इसीप्रकार उ0 प्र0 हस्तकला के क्षेत्र में भी अग्रणी है । देश के कुल हस्तकला निर्यात का लगभग 50 प्रतिशत निर्यात उ0 प्र0 के निर्यातकों से हो रहा है । उ0 प्र0 में स्थित हस्तकला/शिल्पी/निर्यातक अपना तैयार माल समुद्र मार्ग के साथ-साथ वायुयान मार्ग से भी विदेशों में भेजते हैं, परन्तु वायुयान का भाड़ा अधिक होने के कारण इस क्षेत्र का समुचित विकास नहीं हो पा रहा है । इसी उद्देश्य से इस योजना का संचालन किया जा रहा है ।

2- योजना के लिये अर्हता -

इस योजनार्न्तगत उ0 प्र0 के ऐसे सभी निर्माता निर्यातक एवं मर्चेन्ट एक्सपोर्टर पात्र होगें जो निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो में पंजीकृत हों और उ0 प्र0 में स्थित एयर कार्गो काम्पलेक्स जैसे -लखनऊ तथा वाराणसी के माध्यम से जो अपना माल निर्यात कर रहे हैं। इस योजना के अर्न्तगत पैरेशिविल गुड्स जैसे-ताजे फल, फूल एवं सब्जियॉ तथा औद्योगिक उत्पाद के निर्यातक भी पात्र होगें ।

3- वित्तीय सुविधा -

उ0 प्र0 से फल, फूल, सब्जी तथा औद्योगिक उत्पाद के निर्यात करने वाले सभी निर्यातकों को निर्यात किये गये माल पर व्यय भाड़े का 20% (बीस प्रतिशत) अथवा रू0 50/-प्रति कि0ग्रा0 (जो भी कम हो) वित्तीय सहायता के रूप में प्रदान किया जायेगा। इस योजना के अर्न्तगत एक निर्यातक इकाई को एक वित्तीय वर्ष में अधिकतम रू0 2.00 लाख (रूपये दो लाख मात्र) तक की वित्तीय सहायता उपलब्ध करायी जायेगी ।

4- वित्तीय सुविधा प्राप्त करने हेतु आवश्यक प्रपत्र -

निर्यातक इकाई को निम्नलिखित प्रपत्र प्रार्थना -पत्र के साथ उपलब्ध कराने होगें:-

1- निर्धारित प्रारूप पर प्रार्थना -पत्र (संलग्नक-1)

2- कस्टम द्वारा सत्यापित शिपिंग बिल की प्रति । (निर्यात प्रोत्साहन की प्रति)
3- एयर-वे बिल की फोटो प्रति ।
4- चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा निर्धारित प्रारूप पर व्यय के सम्बन्ध में प्रमाण-पत्र (संलग्नक-2)
5- इकाई द्वारा निर्धारित प्रारूप पर घोषणा-पत्र (संलग्नक-3)
6- औद्योगिक इकाई की स्थिति में औद्योगिक लाईसेन्स/ज्ञापन/पंजीयन प्रमाण पत्र की प्रति।
7- निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो के पंजीयन प्रमाण पत्र की प्रति।
8- आयात निर्यात कोड (IEC) की प्रति।

5- दावे स्वीकृत करने की प्रक्रिया -

निर्यातक इकाई को निर्यात की तिथि के अधिकतम 06 माह के अन्दर आवेदन-पत्र समस्त संलग्नकों सहित निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो, लखनऊ में प्रस्तुत करना होगा।

निर्धारित तिथि के उपरान्त प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा ।

6- वित्तीय सहायता स्वीकृत करने के अधिकार निर्यात आयुक्त ,निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो में निहित होगें।

विशेष :-

1- इस योजना का संचालन 01 अप्रैल, 2008 से किया जायेगा तथा वित्तीय सहायता 01, अप्रैल, 2008 अथवा उसके बाद किये गये निर्यात पर उपलब्ध होगी ।
2- वित्तीय सहायता के सम्बन्ध में किसी भी स्तर पर उत्पन्न होने वाले विवाद अथवा योजना के संचालन में शासन का निर्णय अन्तिम होगा ।

यह शासनादेश वित्त विभाग के अशा0 सं0-ई0-6-455/08 दिनांक 13.5.2008 में प्राप्त सहमति से जारी किया जा रहा है।

भवदीय,

(वी0 राजगोपालन)
प्रमुख सचिव,

शासनादेश संख्या-1684 (1)/18-4-2008-35(बजट)/2007/तद्‌दिनॉक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- अपर निर्यात आयुक्त, निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो, उ0प्र0 शासन ।
2- औद्योगिक विकास विभाग के समस्त विशेष सचिव/ संयुक्त सचिव/ अनुसचिव/ अनुभाग अधिकारी ।
3- समस्त संयुक्त निदेशक, उद्योग, उद्योग विभाग, उत्तर प्रदेश ।
4- समस्त महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, उद्योग विभाग, उत्तर प्रदेश ।

आज्ञा से,

(मारकण्डेय सिंह)
विशेष सचिव ।

संलग्नक–1

वायुयान भाड़ा युक्तिकरण योजनान्तर्गत वित्तीय सहायता हेतु आवेदन –पत्र

1 इकाई का नाम : मेसर्स ....

2 पूरा पता (दूरभाष / फैक्स / ई०मेलसहित) : ....

3 निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो मे पंजीयन सं० एवं दिनांक : ....

4 आयात –निर्यात कोड (आई०ई०सी०) नं० तथा जारी करने वाले डी०जी०एफ०टी० कार्यालय का पता : ....

5 निर्यातक की श्रेणी :– मैन्यूफैक्चर्स / मर्चेन्ट : ....

6 मैन्यूफैक्चर निर्यातक की स्थिति में औद्योगिक पंजीयन / ज्ञापन सं० एवं दिनॉक : ....

7 इकाई के प्रबन्ध निदेशक / भागीदार / प्रोपराइटर का नाम : ....

8 एयर कार्गो के माध्यम से निर्यात हेतु भेजे गये माल का विवरण

निर्यात की तिथि	निर्यात किये गये वस्तुओं / उत्पादों के नाम तथा वजन (कि०ग्रा०) में	आयातक देशों के नाम	एयर वे बिल क्रमांक एवं दिनॉक	शिपिंग बिल (निर्यात प्रोत्साहन की प्रति) क्रमांक एवं दिनॉक	वायुयान भाड़े पर व्यय धनराशि रू०	परिवहन भाड़े के भुगतान से सम्बन्धित कैश रसीद सं० दिनांक
योग						

9 चार्टर्ड एकाउन्टेंट द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र के अनुसार व्यय धनराशि : रू०..................

10 आवेदित वित्तीय सहायता धनराशि (वायुयान भाड़े का 20% अथवा रू० 30/– कि०ग्रा० की दर से जो भी कम हो) : रू० ....

सलग्नक–

1– कस्टम द्वारा सत्यापित शिपिंग बिल (निर्यात प्रोत्साहन की प्रति)
2– स्वतः प्रमाणित एयर वे बिल की प्रति
3– चार्टेड एकाउन्टेन्ट द्वारा प्रदत्त निर्धारित प्रारूप पर व्यय से संबंधित प्रमाण पत्र
4– निर्धारित प्रारूप पर घोषणा–पत्र
5– औद्योगिक इकाई की स्थिति में पंजीयन प्रमाण पत्र ज्ञापन की प्रति ।
6– निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो से पंजीयन प्रमाण पत्र की प्रति।
7– आयात निर्यात कोड (IEC) की प्रति।

आवेदक के हस्ताक्षर
इकाई की सील सहित
पता ....

संलग्नक–2

वायुयान भाड़ा युक्तिकरण योजनान्तर्गत वायुयान मार्ग से निर्यात हेतु भेजे गये माल के भाड़े पर हुए व्यय के कम में चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट का प्रमाण–पत्र ।

हम मैंसर्स ....
(चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट का नाम व पता)
चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट यह प्रमाणित करते हैं कि इकाई मेसर्स ....
(इकाई का नाम व पता)
द्वारा वायुयान मार्ग से दिनांक .... से .... तक एयर कार्गो काम्पलेक्स लखनऊ/वाराणसी के माध्यम से .... वजन ....
देश .... (निर्यात हेतु भेजे गये माल/उत्पादों के नाम) कि0ग्रा0 में)
(आयातक देशों के नाम)
को भेजा गया ।

उक्त भेजे गये माल के वायुयान किराये के रूप में ईकाई द्वारा रू0 ....
(शब्दो में)
धनराशि व्यय की गयी है । हमारे द्वारा इकाई के अभिलेखों से सत्यापित किया गया और सही पाया गया।

चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट के हस्ताक्षर
सील सहित

तिथि
स्थान

नाम–
पता–
पंजीकरण सं0–

(संलग्नक - 3)

घोषणा पत्र

समक्षः निर्यात आयुक्त,
निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो, उ0प्र0,
लखनऊ ।

हम.......................................पुत्र, श्री...
निवासी... प्रबन्ध निदेशक/भागीदार/स्वामी
मेसर्स ....पता.......................................शपथ
पूर्वक निम्न घोषणा करते है :-

1. यह कि हमारे द्वारा निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो, उ0प्र0 के माध्यम से संचालित वायुयान भाड़ा युक्तिकरण योजनान्तर्गत वित्तीय सहायता स्वीकृति से सम्बन्धित प्रस्तुत आवेदन-पत्र में दर्शाया गया विवरण एवं तथ्य सही है, कोई तथ्य छिपाया नहीं गया है । कोई भी तथ्य गलत पाये जाने पर हमारे विरूद्ध कठोर कार्यवाही की जा सकती है ।
2. यह कि हमारी उक्त इकाई को निर्यात हेतु वायुयान मार्ग से भेजे गये माल के भाड़े के व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु वित्तीय सहायता स्वीकृत से सम्बन्धित आवेदन पत्र में आवेदित धनराशि के सापेक्ष अन्य किसी संस्था से वित्तीय सहायता प्राप्त नहीं की गई है ।
3. यह कि हमारी उक्त इकाई/फर्म द्वारा कोई भ्रष्ट कार्य नही किये गये है, तथा इकाई को उक्त योजनान्तर्गत वित्तीय सहायता से सम्बन्धित समस्त नियम/प्रतिबन्ध मान्य होंगे

कृते मे0 ....

नाम ....

प्रबन्ध निदेशक/भागीदार/स्वामी

सत्यापन

यह कि उपरोक्त घोषणा-पत्र में धारा-1 से 3 तक हमारे द्वारा घोषणाएं सत्य हैं, न कुछ झूठ है और न कुछ छिपाया गया है ।

कृते मे0 ....

नाम ....

प्रबन्ध निदेशक/भागीदार/स्वामी